

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. †3094  
दिनांक 19.03.2025 को उत्तर देने के लिए

खदान से संबंधित डेटा, सुरक्षा उपाय और अनुग्रह प्रतिकर

†3094. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में पिछले पांच वर्षों में सक्रिय और बंद खदानों की कुल संख्या कितनी है साथ ही खनन के दौरान प्राप्त खनिजों का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार व्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट की गई खनन-संबंधी दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है साथ ही हताहतों और धायलों की वर्षवार और राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी हैं;
- (ग) सरकार द्वारा खनन-संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने और खदान श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए क्या संरक्षा उपाय किए गए हैं; और
- (घ) खनन दुर्घटनाओं के पीड़ितों और उनके परिवारों को प्रदान किए गए अनुग्रह प्रतिकर का व्यौरा क्या है और हाल ही में हुए नीतिगत परिवर्तन या संवर्द्धन, यदि कोई हों, क्या हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री  
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, देश में 1206 कार्यशील तथा 1789 अकार्यशील खाने हैं, जो खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हैं। इन खानों का राज्य-वार, खनिज-वार व्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, गैर-कोयला खानों में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सूचित हताहतों एवं घायलों की संख्या सहित खनन संबंधी दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष-वार एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुलग्नक-II में दी गई है।

(ग): एमओएलई द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, कोयला खानों सहित खान श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खान अधिनियम, 1952 अधिनियमित किया गया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) को खान श्रमिकों की सुरक्षा एवं कल्याण में वृद्धि करने के लिए खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खानों के निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है।

(घ): रोजगार के दौरान चोट/दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को दिया जाने वाला मुआवजा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आता है, जिसे राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में लागू करती हैं।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक -I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3094 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	कार्यशील खानों की संख्या	अकार्यशील खानों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	101	276
2	असम	4	2
3	बिहार	1	4
4	छत्तीसगढ़	89	69
5	गोवा	1	9
6	गुजरात	153	224
7	हरियाणा	0	4
8	हिमाचल प्रदेश	26	13
9	जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	8	29
10	झारखण्ड	29	72
11	कर्नाटक	105	157
12	केरल	1	4
13	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	0	1
14	मध्य प्रदेश	302	342

15	महाराष्ट्र	73	38
16	मेघालय	15	8
17	ओडिशा	96	57
18	राजस्थान	98	39
19	तमिलनाडु	63	392
20	तेलंगाना	36	42
21	उत्तर प्रदेश	3	1
22	उत्तराखण्ड	2	5
23	पश्चिम बंगाल	0	1

## लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3094 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य का नाम	वर्ष	गैर- कोयला				
		घातक			गंभीर चोट	
		दुर्घटनाओं की संख्या	मृत्यु	गंभीर चोट	दुर्घटनाओं की संख्या	गंभीर चोट
आंध्र प्रदेश	2020	5	5	0	3	3
	2021	6	16	0	3	3
	2022	5	5	0	1	1
	2023	2	3	1	0	0
	2024	0	0	0	4	4
असम	2020	3	4	0	2	2
	2021	2	2	0	0	0
	2022	1	1	0	2	2
	2023	0	0	0	1	1
	2024	1	1	0	1	1
बिहार	2020	1	1	1	0	0
छत्तीसगढ़	2020	1	1	0	2	2
	2021	2	2	0	1	1
	2022	0	0	0	6	6
	2023	2	2	0	0	0
	2024	1	1	0	3	3
गुजरात	2020	2	2	1	1	1
	2021	2	3	0	2	2
	2022	1	3	0	4	4
	2023	0	0	0	2	2
हरियाणा	2020	1	1	0	0	0
	2022	1	5	3	0	0
झारखण्ड	2020	6	7	1	2	2
	2021	2	3	0	3	3
	2022	4	4	0	5	5
	2023	1	1	0	3	3

	2024	3	4	3	4	5
कर्नाटक	2020	2	2	0	2	2
	2021	2	3	0	7	7
	2022	6	10	5	7	7
	2023	3	3	1	5	5
	2024	5	6	3	4	6
केरल	2020	2	3	0	0	0
	2022	1	1	0	0	0
मध्य प्रदेश	2020	2	2	1	0	0
	2021	2	2	0	4	4
	2022	2	2	1	3	3
	2023	5	5	3	2	2
	2024	3	4	2	5	5
महाराष्ट्र	2020	1	2	0	0	0
	2022	0	0	0	3	3
	2023	2	4	1	4	5
	2024	2	2	0	1	3
ओडिशा	2020	4	4	0	3	3
	2021	3	3	1	10	10
	2022	3	3	0	3	3
	2023	1	1	0	7	7
	2024	3	3	1	7	7
राजस्थान	2020	6	7	0	9	10
	2021	7	10	2	15	16
	2022	12	14	4	12	15
	2023	4	6	0	11	11
	2024	6	7	13	3	3
तेलंगाना	2022	0	0	0	1	1
	2023	2	2	0	0	0
	2024	1	1	0	0	0
तमिलनाडु	2020	3	4	2	0	0
	2021	3	4	1	0	0
	2022	1	1	0	1	2
	2023	2	2	0	0	0

	2024	1	1	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2020	1	5	2	0	0
	2021	2	2	2	0	0
	2022	2	4	0	0	0
	2023	4	4	1	0	0
	2024	3	6	0	0	0
पश्चिम बंगाल	2022	1	1	0	0	0